I also move:

"That this House agrees with the recommendations contained in the Eighth Report of the Committee on Ethics presented to the Rajya Sabha on the 24th February, 2006."

The questions were put and the motions were adopted.

The Companies (Amendment) Bill, 2006

THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI PREM CHAND GUPTA): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Companies Act, 1956, be taken into consideration."

The questions were put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall, now, take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI PREM CHAND GUPTA: Sir, I beg to move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

Discussion on working of Ministries of Panchayati Raj and Rural Development—*Contd.*

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): सभापति महोदय, कल ग्रामीण विकास व्यवस्था की चर्चा में भाग लेते हुए मैं कह रहा था कि भारत निर्माण के लिए इस बजट में 2005-06 के अन्दर 13,907 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान लगाया गया और अगले वर्ष के लिए इसे बढ़ाकर अनुमानत: 19,000 करोड़ रुपये कर देने का प्रावधान रखा गया है।

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

भारत निर्माण के अन्दर शहर एवं गांव दोनों ही आते हैं। जब हम गांवों की बात करते हैं और फिर उसके लिए बजट में प्रावधान करते हैं, उस बजट की तुलना में यदि हम गांवों की बात करें तो बजट का जितना पैसा गांवों के विकास के लिए खर्च होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है। बजट के अन्दर कृषि एवं गांवों की अनदेखी की जाती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप गांव और कृषि पर बजट का अलग से प्रावधान करें, जिससे गांवों का समुचित विकास हो सके।

4.00 P.M.

गांवों के अन्दर सिंचाई की व्यवस्था के लिए एवं गांवों के विकास के लिए जब तक हम समुचित धन बजट में नहीं रखेंगे, तब तक गांव की कृषि का, गांव के लोगों का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए यदि सही मायनों में हमें गांवों का विकास करना है तो इस ओर हमें ध्यान देना होगा। कृषि एवं सिंचाई के लिए बजट में प्रावधान किया जाता है, तो उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि इतना पैसा हमने सिंचाई के लिए, तालाब बनाने के लिए, ऐनिकट्स या ट्यूबवेल बनाने के लिए बजट में रखा है, फिर उसकी मॉनिटरिंग अवश्य ही सही तरह से होनी चाहिए।

हर साल हम बजट में इतना पैसा रखते हैं, लेकिन देखने में यह आता है, यहां पर मैं राजस्थान के बारे में ही बताना चाहता हूं कि राजस्थान में सिंचाई के लिए आप इतना पैसा आबंटित करते हैं, सरकार पैसा खर्च भी करती है, लेकिन आए दिन वहां अकाल पड़ जाता है और उस पैसे का पता ही नहीं लगता है कि वह कहां गया। आपने सिंचाई के लिए पानी की क्या व्यवस्था की, कोई तालाब बनाया या ट्यूबवैल लगवाया, इसका कुछ पता ही नहीं लगता है। जो पैसा आप वहां पर खर्च करते हैं, वह लौंग प्लान को देख कर नहीं करते हैं, बल्कि तात्कालिक समस्याओं को देख कर करते हैं, इसलिए समस्या बढ़ती चली जाती है। जब तक हम कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था ही पूरी नहीं करेंगे, जब तक गांवों के अन्दर किसानों का विकास नहीं करेंगे, तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता है।

किसान जो पैदावार उत्पन्न करता है, उसके ऊपर उसकी जो लागत आती है, उसका मूल्य भी किसान को नहीं मिल पाता है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि किसान गेहूं पैदा करता है और एक क्विंटल गेहूं जो पैदा होता है, उस पर 750 रुपये की लागत आती है, लेकिन हम किसान को देते क्या हैं? हमारा समर्थन मूल्य क्या है? वह केवल 650 या 700 रुपये प्रति क्विंटल है। इस प्रकार किसान घाटे में जा रहा है, ऐसी हालत में उसका विकास कैसे होगा? एक तरफ हम विकास की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसान, जो गांव में रहता है, अनाज पैदा करता है, उसे उसकी लागत के बराबर मूल्य भी नहीं मिलता है। इसीलिए किसान आज दयनीय स्थिति में रह रहा है।

अब मैं स्वास्थ्य की बात करता हूं। आज गांवों के अन्दर बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल ही नहीं हैं। पांच-पांच या छः-छः गांवों के बीच केवल एक ही अस्पताल मिलेगा और वह भी दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर दूर होगा। इसलिए गांव के विकास पर जब हम पैसा ही खर्च करें, उनके एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक पद्धति से इलाज के लिए, लेकिन गांव के अंदर होम्योपैथिक पद्धति का तो कोई नाम ही नहीं जानते, तो किधर विकास करना चाह रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, हमारी क्या दशा है, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं? उपसभापति

महोदय, स्वास्थ्य के नाम पर प्राइवेट एजेंसीज काम कर रही हैं, जिनको विश्व बैंक से पैसा मिलता है। वे उसको कहां खर्च करती हैं? ये खाओ-पिओ योजनाएं हैं, वे एजेंसीज कोई काम नहीं करती हैं, केवल उससे उनके परिवार का पालन हो जाता है, कागजों में रिपोर्ट आ जाती है। इसलिए इसकी निगरानी करनी चाहिए कि हमें स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा बाहर के देशों से मिल रहा है, इसमें कौन-कौन सी एजेंसीज हैं तथा ये किन-किन जिलों के अंदर हैं। मुझे तो अफसोस होता है कि मेरे ही जिला सवाई माधोपुर के अंदर करीब 50 ऐसी संस्थाएं हैं, जो स्वास्थ्य के नाम पर पैसा लाती हैं, ले जाती हैं। मैं उनका नाम नहीं जानता कि वे संस्थाएं चल कहां रही हैं। मंत्री महोदय, कैसे गांव का विकास हो, गांव के नाम पर पैसा जाए। जहां तक गांवों में बिजली की हालत है, हम हिन्दुस्तान के एक लाख पच्चीस हजार गांवों को बिजली नहीं पहुंचा पाए। बिजली के ऊपर माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले साल की बजाए इस साल ज्यादा पैसा खर्च करने का अनुमान अपने बजट में रखा है। लेकिन समझ में नहीं आता कि हम किसानों को बिजली कैसे दे रहे हैं किसानों के लिए हम 12 घंटे बिजली देने की बात करते हैं। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो हर बार जिस पार्टी की वहां सत्ता होती है, उसके खिलाफ हर दूसरी पार्टी द्वारा यह प्रचार होता है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो किसानों को 12 घंटे बिजली देंगे, उनको सस्ती बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो वह इस बात को भूल जाती है। आज इस देश के किसानों को 4 घंटे, 5 घंटे मुश्किल से बिजली मिल पाती है और बीच में ट्रिप होती रहती है, कटती रहती है। वैसे हम किसानों के लिए लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम उनकी बिजली की कटौती भी करते हैं। शहरों में इण्डस्ट्रीज की बिजली की कटौती नहीं कर पाते हैं। तो बिना बिजली के किसान अपनी पैदावार कैसे बढ़ाएगा तथा गांव का विकास कैसे होगा?

उपसभापति महोदय, मैं इस देश की नेता यू०पी०ए० की चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले लोक सभा के चुनावों में इस देश के लोगों से, इस देश के गांव के लोगों से एक वायदा किया था कि मैं आपको रोजगार की गारंटी दूंगी। आज सोनिया जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने प्रयत्न करके इस सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को मंजूर कराया और फरवरी के महीने से 200 जिलों के अंदर इस योजना को चालू करवा दिया। इस योजना पर 25 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। इससे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ-साथ गांव की शक्लें बदलेंगी। अभी मेरे जिले के अंदर यह कार्यक्रम चल रहा है। उस जिले के अंदर एक-एक ग्राम पंचायत से पांच-पांच करोड़ रुपए पांच साल का प्लान अभी से जिला अधिकारी ने बनवाया है। एक-एक पंचायत ने एक-एक करोड़ रुपये का काम मंजूर किया है। आने वाले 5 साल में वहां की ग्राम पंचायत, गांव की संस्थाओं को काम कराने के लिए जगह भी नहीं होगी। वहां डेवलेपमेंट होगा, वहां बिजली की व्यवस्था होगी, पीने के पानी की व्यवस्था पर

खर्च हो रहा है, सड़कों पर खर्च हो रहा है, सिंचाई के कामों पर खर्च हो रहा है। ऐसी योजनाएं श्रीमती सोनिया गांधी ने देश को दी हैं। इस देश का मानव, इस देश का आदमी कभी इसको भूल नहीं पायेगा। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इसके लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा, इसको 200 जिलों में ही नहीं, पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए, सारे देश के लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। इसलिए आप इसके बजट को बढ़ायें और इसको सारे देश में लागू करें। इससे अच्छा कार्यक्रम आज तक हिन्दुस्तान में कोई नहीं हुआ। यह एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम है जिससे गांवों की स्थिति बदलेगी, गांवों का विकास होगा। मंत्री जी, इसके साथ ही मैं एक बात कहना चाहूंगा और मैं इस यूपीए गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसका किसानों के प्रति अच्छा दृष्टिकोण है। पहले किसान कृषि के लिए ऋण लेते थे, तो वह नाबार्ड के माध्यम से, सहकारी समितियों के माध्यम से या कृषि बैंकों के माध्यम से मिलता था। बैंकों से किसानों को जो ऋण मिलता था उसकी ब्याज दर 9 प्रतिशत थी, इस सरकार ने उसे घटाकर 7 प्रतिशत किया है, इससे लगता है कि आपका दृष्टिकोण किसानों के प्रति अच्छा है। मंत्री जी, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आपने किसानों को ऋण देने के लिए बैंकों को पैसा तो दिया है, लेकिन किसानों को समय पर ऋण मिलना चाहिए। किसानों को ऋण उस वक्त मिलता है जब किसानों की पैदावार होती है, फसल पक जाती है, उसके बाद मिलता है, तो उसका सही सदुपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए यह तय कर दिया जाये कि जब किसान बीज बोता है, बुवाई करता है, उस समय उसको ऋण की आवश्यकता होती है, तब उनको ऋण उपलब्ध करवाया जाये।

आज भी गांवों में 40 प्रतिशत लोग कच्चे मकानों में रहते हैं। इंदिरा आवास योजना पिछले कई सालों से चल रही है, परन्तु इस योजना का सही लाभ गांव के लोगों को नहीं मिल पाता है। इस योजना के माध्यम से एक मकान के लिए 25 हजार रुपये दिये जाते हैं। मंत्री महोदय, आप भी गांव के रहने वाले हैं, आप भी जानते हैं कि क्या 25 हजार रुपये में मकान बन जाता है? क्या यह योजना व्यावहारिक है? कागजों में रिपोर्टें आ जाती हैं, योजना चल जाती है, आप इसको प्रैक्टिकली देखिये कि मकान कितने में बन सकता है? हम एक करोड़ मकान बनाने के बजाय एक हजार बनायें, दो हजार बनायें, ऐसा तो हो कि मकान बनें। उपसभापति महोदय, गांव में मकान नहीं बन पाते हैं और 25 हजार रुपये का भी क्या हाल होता है? कई जगह पर मकान बनते ही नहीं हैं, केवल फॉरमैल्टीज़ हो जाती हैं, कई जगह पर वहां की पंचायत के सदस्य और कर्मचारी मिल-मिलाकर उसकी गड़बड़ कर लेते हैं, यह कागजों की खानापूर्ति हो रही है। यह क्या हो रहा है सरकार को, हम कहां जा रहे हैं? किसको कहें, कोई सुनने को तैयार नहीं है? जब से इंदिरा आवास योजना लागू हुई है, मंत्री जी, आप तब ये उठाकर देख लीजिए कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कितने मकान बने हैं? आपके पास आंकड़े आते हैं और कितने मकान हैं, आप इसकी मॉनिटरिंग करवा लीजिए, आपको पता लग जायेगा कि हम किधर जा रहे हैं। हम क्या करें, कागजों में कार्यवाही हो रही है। इस साल आपने

इसके लिए 2498 करोड़ रुपया आबंटित किया है। और अगले साल इसको बढ़ाकर 2,625 करोड़ करने जा रहे हैं। जब आप आवास योजना पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसका सदुपयोग हो, मकान बनें, इतना पैसा इसके लिए दें, उसे चेंज करें, 25 हजार से बढ़ाकर 1 लाख के करीब करें जिससे कोई मकान बना सके, झोपड़ी में रह सके। साथ ही जब हम गांवों की बात करते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोग ज्यादातर गांवों में ही रहते हैं। इस बजट में जब उनकी बात आती है तो सारे बजट के अंदर आधा परसेंट पैसा शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के कल्याण के लिए रखा गया है। आप देखिए कि 25 परसेंट शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स इस देश के अंदर हैं और उनके विकास के लिए हम केवल आधा परसेंट बजट रख रहे हैं। आप बता दीजिए कि उनका विकास कैसे होगा, कैसे आप उनको डेवलप करना चाहते हैं? सर, पिछले साल 16 करोड़ रुपए शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के मेट्रिक पास लोगों को छात्रवृत्ति देने के लिए रखे गए थे। इस साल आपने उसमें एक पैसा भी नहीं बढ़ाया, वही 16 करोड़ रखा। मैं जानना चाहता हूं कि हमारा दृष्टिकोण क्या है, कैसे बढ़ाना चाहते हैं? जब तक शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब का आदमी, जो गांव में रहता है, उसका विकास नहीं होगा, तब तक गांव का विकास कैसे होगा? सर, मैं एक बात और कह रहा था कि जब तक आप बड़े पूंजीपतियों और गांवों के लोगों के विकास के प्रति दृष्टिकोण समान नहीं रखेंगे, तब तक विकास नहीं हो सकता। आज हम बड़े-बड़े उद्योगों का करोड़ों रुपया राइट ऑफ कर देते हैं, माफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन कृषि के लिए जब किसान 15-20 हजार रुपए कर्ज लेता है-सिंचाई के लिए, पम्प सेट खरीदने के लिए, कुंआ खोदने के लिए- और उस पैसे को यदि वह किसी कारण से नहीं चुका पाता है तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती है। दूसरी तरफ बड़े-बड़े पूंजीपति, सरकार को झांसा देकर, उसमें से सारी मलाई खाने के बाद छाछ छोड़ देते हैं, इंडस्ट्रीज़ का जो लाभ है, उसे तो वे खा लेते हैं और बाकी जो रह जाता है, उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद वे उस इंडस्ट्री को घाटे में चलाते रहते हैं और पैसा राइट ऑफ करा लेते हैं- आप भी माफ कर देते हैं, यह दृष्टिकोण आपको बदलना पड़ेगा। गांव के लोगों ने जो ट्रेक्टर के लिए लोन लिया है, पम्प सेट के लिए लोन लिया है और अगर वह उस कर्ज को नहीं चुका पा रहा है तो आपको देखना चाहिए कि उसका कारण क्या है। क्या उसको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते? एक बार देवी लाल जी ने दस हजार रुपए माफ करने की घोषणा की थी, उस समय इस देश में कितना हल्ला हुआ था। आज कितने करोड़ों रुपए बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज के राइट ऑफ करते जा रहे हैं, माफ करते जा रहे हैं, छूट देते जा रहे हैं...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मीणा जी, अभी कितना समय और लगेगा?

श्री मूल चन्द मीणा: सर, पांच मिनट और।

श्री उपसभापति: कितने सफे बाकी हैं?

श्री मूल चन्द मीणा: सर, मैं देख रहा हूं कि कोई प्वाइंट रह तो नहीं गया।

श्री जयन्ती लाल बरोट (गुजरात): बोलने दीजिए। वैसे ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: अभी और कितना समय चाहिए, यह पूछ रहा हूं।

श्री मूल चन्द मीणा: पंचायती राज मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा कि पंचायती राज का ढांचा आपने तीन स्तर का बनाया है, लेकिन आज जब हम उस ढांचे का गठन करते हैं तो पिछला जो ढांचा था-राजीव जी ने एकरूपता लाने के लिए अच्छा किया, पंचायती राज की व्यवस्था में संशोधन करके, महिलाओं का, शेडयूल्ड कास्ट्स का, शेडयूल्ड ट्राइब्स का, ओबीसी का रिजर्वेशन किया। यहां तक तो सही है, अच्छा किया, लेकिन हो क्या रहा है? जो आप गठन कर रहे हो, उसमें आपको संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे वाले लोग, जो ज्यादा पैसा खर्च करता है, वह पैसे से जिला पंचायत का, पंचायत समिति का, पंचायत का अध्यक्ष बन जाता है। गरीब आदमी पहले चुनाव जीत जाता था। गरीब आदमी जिला परिषद का चेयरमैन, पंचायत समिति का चेयरमैन बन जाता था। फर्क यह है कि पहले इलैक्टोरल कॉलेज था... । वह बड़ा था। अब हमें सीमित कर दिया है आपने। एक जिला परिषद में 25 सदस्य होते हैं। जब चुनाव होते हैं, तो पार्टी से होते हैं, नॉन-पार्टी से, जैसे भी होते हैं, तो उसमें पैसा खर्च करके जो सदस्य खरीद लेता है, वह जीत जाता है। अगर इसमें आपने सुधार नहीं किया, तो पंचायती राज का जो ढांचा है, इस समय वह भ्रष्टाचार की जड़ है। जो भी चेयरमैन बनता है, वह कहता है कि मैंने इतना पैसा खर्च किया है, मैं तो निकालूंगा, कहां से लाऊंगा इतना पैसा? मैं राजस्थान का ढांचा बताता हूं कि-पहले वहां कैसा ढांचा था। सरपंच का चुनाव डायरेक्ट पब्लिक से होता था और पंचायत समिति, जिसे कई प्रदेशों में ब्लॉक पंचायत कहते हैं, वह चुनाव में सरपंच और ग्राम पंचायत के बाद पंच, सब मिलकर चुनते थे। न तो उसमें जातिवाद का फर्क पड़ता था, न पैसे का फर्क पड़ता था। आज पंचायत समिति, जिला परिषद् में जातिवाद भी चलता है और पैसा भी चलता है, इसलिए इस ढांचे में सुधार करना पड़ेगा। गरीब आदमी तो चुनाव ही नहीं लड़ सकता है और न गरीब जिला परिषद् का चेयनमैन बन सकता है, न पंचायत समिति का सदस्य बन सकता है। और तो और, मंत्री महोदय, मैं अपने ही जिले की बात कहना चाहता हूं कि जिला परिषद् के जो-जो व्यक्ति चेयरमैन बने हैं, पचास लाख, पचास करोड़ रुपए खर्च करने के बाद बने हैं। पंचायत समिति का, ब्लॉक के जो चेयनमैन बनते हैं, वे भी करोड़ों रुपए खर्च करके बनते हैं और फिर कहते हैं कि सरकार योजनाएं भेज रही है, इतनी योजनाएं चलाती है डी.आर.डी., कहां जा रहा है पैसा? ऐसे ही योजनाएं चल रही हैं, ऐसे ही कार्यक्रम हो रहे हैं, कागज़ों में कार्यवाही हो रही है। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है पंचायती राज से यदि भ्रष्टाचार मिटाना है, इस देश से भ्रष्टाचार मिटाना है, तो पंचायती राज को ठीक कर दीजिए, इसके गठन को ठीक कर दीजिए। आप चाहे पब्लिक से डायरेक्ट चुनाव करा लीजिए, सारे देश में एकरूपता ले आइए। यही नहीं, इस पंचायत समिति के जो सदस्य बने हैं जिला परिषद् के जो सदस्य बने हैं, वे चुनेंगे, तो यह सीमित है, इसको चेंज कीजिए, यही मेरा निवेदन है।

एक निवेदन मेरा और भी है कि सरकार को पंचायती राज प्रणाली में भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग के कुछ सुझाव हैं, उनको शामिल करना चाहिए, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश): उप सभापति जी, पंचायती राज और ग्रामीण विकास के क्रियाकलाप के संबंध में सदन में चर्चा हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु लोगों ने प्रस्तुत किए हैं। पंचायती राज सही मायने में इस समय जिसके अंतर्गत चालित है, अगर मैं कहूं कि पंचायती राज का जो प्रारूप है, उस प्रारूप को प्रस्तुत करने वाले श्रीमान् मणि शंकर अय्यर जी हैं, इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। जिस ढंग से पंचायती राज की कल्पना को साकार करने का प्रयत्न किया गया है, उस कल्पना के अंतर्गत यह था कि गांव का आम आदमी यह महसूस कर सके कि मैं अपना शासन चला रहा हूं, मेरे द्वारा यह शासन चल रहा है, इस शासन को चलाने में मेरी भी सहभागिता है। वह चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो, चाहे किसी भी मज़हब का हो, लेकिन सबको यह अनुभव हो कि मैंने शासन को चलाने में अपनी सहभागिता प्रस्तुत की है। इसलिए इस बात को केंद्र में रखते हुए यह जो तीन स्तरीय कल्पना की गई है, वह इसी को ज्यादा पुष्ट करती है। तीन स्तरीय कल्पना-ग्राम, ग्राम पंचायत, फिर जैसा उन्होंने ब्लॉक की बात कही-कई जगह क्षेत्र पंचायत है और यहां इसको पंचायत समिति कहते हैं। हमारे यहां उसे ब्लॉक कहते हैं और तीसरा जिला परिषद् है। यह एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है और पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत यह स्वशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसके माध्यम से यह पता लगेगा कि कैसा हमारा शासन है और कैसा स्वशासन है? इसके माध्यम से किन-किन चीजों को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने की दृष्टि से प्रयत्न किया जाए, यह भी सुनिश्चित किया है। ग्राम का विकास, पंचायत के माध्यम से हो और इन संस्थाओं के माध्यम से हो। ये संस्थाएं स्वयं आत्म-निर्भर होकर अपने ग्राम का विकास कर सकें, इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए। उस व्यवस्था को बनाने की दृष्टि से ही यह सुनिश्चित किया गया कि गांव का विकास हो और गांव के अंदर रहने वाले जो गरीब हैं, वंचित हैं और दलित हैं, उनकी गरीबी का उन्मूलन हो। इन दो मुख्य बिन्दुओं को ध्यान में रखकर, पंचायती राज को स्वशासन का रूप प्रदान करने की कोशिश की गई है। इस कारण इसमें प्रथमत: जो चीज रखी गई है, वह यह है कि गांव के अंदर के आधारभूत ढांचे का विकास होना चाहिए और पंचायती राज के अंतर्गत ये सारी चीजें होनी चाहिए। उस आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, जितने भी विभाग हैं, उन विभागों को पंचायतों से सम्बद्ध करना चाहिए। पंचायतें यह महसूस कर सके कि ये विभाग हमारे द्वारा चालित हैं। इसीलिए 11वीं सूची के अंतर्गत यह बात रखी गई है कि इसके अंदर 29 विभाग रखे जाएं और ये 29 विभाग पंचायतों के माध्यम से चालित होंगे या पंचायत इन विभागों को समुचित तौर पर देखेंगी,। चाहे गांवों में सड़क-निर्माण का कार्य हो, चाहे पेयजल का इंतजाम हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे बिजली का कार्य हो, चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, ये सारी चीजें और ये सारे विभाग पंचायत-राज के अंतर्गत प्रावधानित किए गए थे।

पंचायतीं-राज के संबंध में मेरा यह कहना है कि इसमें प्रावधानित किया गया है कि इस पंचायती-राज के अंतर्गत ये 29 विभाग तो सम्बद्ध होंगे, लेकिन ये 29 विभाग कैसे होंगे और किस तरीके से काम करेंगे, काम हुआ है या नहीं हुआ है, राज्य स्तर पर काम हुआ है या नहीं हुआ है, इसको भी देखने की आवश्यकता है। इसका नियोजन करने के लिए, जिला स्तर पर एक नियोजन कमेटी बनेगी। नियोजन कमेटी का भी एक कानून होगा, कानून और उसकी नियमावलियां भी होंगी। जब तक यह सब राज्य स्तर पर नहीं होगा, तब तक केन्द्र सरकार उनको पैसा आवंटित नहीं करेगी। कई स्थानों पर नियोजन समिति न बनने के कारण वहां पर पैसा नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ है। वहां पर गत वर्ष पैसा नहीं दिया गया था, इस बार गया है या नहीं गया है, मैं नही कह सकता, लेकिन नियोजन कमेटी न बनने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। नियोजन कमेटी का बनना और उसके माध्यम से, गांव के विकास की दृष्टि से, सारा नियोजन होना चाहिए और जो 29 विभाग हैं, उनका पंचायत के माध्यम से ठीक से उपयोग होना चाहिए। महोदय, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, उसके आधार पर ये सब चीजें नहीं हो पा रही हैं। यदि राज्य का मंत्रालय चाहे तो पंचायत के साथ जुड़ सकता है और अगर न चाहे तो नहीं जुड़ सकता है। इसलिए जो पंचायत का स्वशासन है, वह आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहा है और जिस प्रकार का उसको सहयोग प्राप्त होना चाहिए, उस प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा यह कहना है, यह पंचायत निकाय एक बहुत बड़ा निकाय है। जब गांव में 72 फीसदी से ज्यादा लोग रहते हैं तो वे पंचायत निकाय के अंतर्गत आते हैं। जिस तरह केन्द्र सरकार है और उसका अलग कार्य है, उसी प्रकार से राज्य सरकार का भी अलग कार्य है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जिनको केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों करती हैं और उसको कंक्रेंट कहते हैं। उस concurrent list के अंदर कुछ विषय आते हैं। इसी तरीके से पंचायत निकाय को स्वतंत्र रूप से मान्यता दी जाए और पंचायत निकाय को अलग मान्यता देकर, उसका अपना बजट उस ढंग से प्रस्तुत किया जाए और उसके आधार पर वह काम कर सके, इसकी भी प्रभावी और समुचित व्यवस्था बनाई जाए, तो आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है–ग्रामीण विकास और गरीबी का उन्मूलन, शिक्षा का विस्तार, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिशु मृत्यु दर में कमी आए, इसकी चिंता, महिलाओं का सशक्तीकरण–ये सारी बातें इसके माध्यम से करने की बात की गई है, शायद इसका ढंग से समाधान निकलता। मैं समझता हूं कि इतने वर्षों में पंचायती राज की तरफ से जो कार्य किए गए हैं, उसकी समुचित समीक्षा करते हुए, मंत्री महोदय इस दिशा में भी विचार करें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

उपसभापति जी, इसके साथ ही मीणा जी ने जो बात कही है, उस पर विचार करना चाहिए कि परोक्ष रूप से ब्लॉक प्रमुख का और जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिसके कारण बाहुबलियों और धनबलियों की प्रमुखता इनमें रहती है और इसकी वजह से जो सही मायने में काम कर सकने वाला व्यक्ति है, वह न तो जिला पंचायत का अध्यक्ष बन सकता है और न ही क्षेत्र

पंचायत का अध्यक्ष बन सकता है। इसलिए जिस तरीके से प्रत्यक्ष चुनाव होने की व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर भी अगर विचार करें, तो मैं समझता हूं कि इस Indirect election की तुलना में वह ज्यादा उपयुक्त होगा। इसलिए इसकी समीक्षा करके, मंत्री महोदय इस पर विचार करें और इसमें कुछ सुधार ला सकें, तो अच्छा है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी, पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से व्यवस्था करें और वह पंचायत सही मायने में काम करे, उसके लिए अलग से बजट का आवंटन हो सके, उसके लिए कुछ धन खर्च किया जाए, इसकी चिंता माननीय मंत्री जी करें, तो ज्यादा अच्छा है।

महोदय, पंचायत और ग्रामीण विकास, इन दोनों का बड़ा ही अन्योन्याश्रित संबंध है, एक-दूसरे से जुड़ा हुआ संबंध है और ये परस्पर एक-दूसरे के पूरक हैं। अगर पंचायत व्यवस्था को निकाल दें, तो आप ग्रामीण विकास किस माध्यम से करेंगे, कैसे करेंगे और यदि ग्रामीण विकास को निकाल दें, तो पंचायत के माध्यम से हम कैसे ग्रामीण विकास कर सकते हैं? इसलिए इन दोनों का परस्पर पूरकता का संबंध है और जब परस्पर पूरकता का संबंध है, तो ग्रामीण विकास भी उसी हिसाब से किया जाए, तो ज्यादा उपयुक्त होगा। हमारे ग्रामीण विकास मंत्री महोदय यहां बैठे भी हैं। भारत निर्माण की जो कल्पना की गई है, उसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान है। यह बात सही है कि भारत निर्माण के अंतर्गत यहां सभी विभागों के मंत्री नहीं है, मात्र हमारे रघुवंश प्रसाद सिंह जी मौजूद हैं और सड़क निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, आवासीय योजना मुख्य रूप से इनके जिम्मे है, जिसके माध्यम से ये चाहें, तो देश भर में अद्‌भुत और चमत्कारिक परिवर्तन कर सकते हैं। इन सारी चीजों को करने के लिए जो बजटीय प्रावधान है, बजटीय प्रावधान जितना हुआ है, उतना रिलीज़ नहीं हो पाता है या रिलीज़ होता है, तो खर्च नहीं हो पाता है। जैसे पिछली बार का आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, अगर मैं गलत हूं, तो आप इसको correct कर दीजिएगा, पिछली बार वर्ष 2004-05 का प्रावधान 18,000 करोड़ रुपए का था, उसमें से संभवत: 14,000 करोड़ रुपए ही रिलीज़ हुए थे और कितने खर्च हुए, पता नहीं। इससे पिछले वर्ष 24,000 करोड़ रुपए का बजट था, उसमें कितना रिलीज़ हुआ, कितना खर्च हुआ, इसकी हमें जानकारी नहीं है। इस बार 31,000 करोड़ रुपए का बजट है, जब कि आपकी मांग थी 96,000 करोड़ रुपए की, भारत निर्माण को ध्यान में रखते हुए आपने यह मांग की थी। आपने इसी सदन के अंदर एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि रोजगार गारंटी योजना को चालू करने के लिए कम से कम 70,000 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन इस बार केवल 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अब कितना हम कर सकेंगे? अगर इस काम को ढंग से नियोजित करके नहीं किया जाएगा, ढंग से योजना बनाकर नहीं किया जाएगा और एक-एक मद पर कितना खर्च किया जा सकता है, इसकी कोई व्यवस्था बनाकर खर्च नहीं किया जाएगा, तब तो यह संभव नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं उस प्रकार की व्यावहारिक योजना का अभाव है, इसको देखने की कोशिश करनी चाहिए।

मान्यवर, इसी में मैं आवासीय व्यवस्था के बारे में कहना चाहूंगा कि अभी मीणा जी ने इसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख किया है कि इंदिरा आवास योजना में 75 फीसदी और 25 फीसदी के एक फंड के आवंटन के बारे में प्रावधान है कि राज्य सरकार 75 फीसदी खर्च करेगी और केन्द्र सरकार 25 फीसदी खर्च करेगी। मैं समझता हूं कि इस पर केन्द्र सरकार को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और ज्यादा लेनी चाहिए। जो मैदानी इलाके में रहने वाले हैं, उनके लिए आपने 25 हजार दिया है और रेगिस्तान और पहाड़ वालों को आपने 27 हजार दिया है। लेकिन यह नाकाफी है, बहुत कम है। इसमें वहीं कुछ नहीं हो सकता। इसे बढ़ानें की व्यवस्था होनी चाहिए। यह सारा पैसा आवास पर खर्च नहीं होता है, यह दूसरे मदों पर खर्च हो जाता है।

इसी तरह से पेयजल की व्यवस्था की दृष्टि से भी आपने कहा कि लगभग 96 फीसदी पानी लोगों को मिल रहा है। पानी मिल रहा है का मतलब क्या मिल रहा है? मतलब शुद्ध पेय जल की व्यवस्था की बात होनी चाहिए। शुद्ध पेय जल की व्यवस्था के लिए आपको उसके अनुरूप सारी योजना बनानी पड़ेगी और उस ढंग से पैसे खर्च करने की आवश्यकता होनी चाहिए। और भी कई स्रोत हैं, जिनके माध्यम से खर्च किए जा सकते हैं। इसलिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विकास के जिस प्रकार से क्रियाकलाप हैं कि बजट आवंटन को सही तरीके से खर्च किया जा रहा है या नहीं, इसकी चिन्ता करना, जो व्यवस्था बनाई गई है, वह व्यवस्था ठीक प्रकार से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसको ढंग से देखना और समय-समय पर इन सारे कार्यक्रमों को जो भी पैसा दिया गया है, इसका अनुश्रवण करना, इसकी मॉनीटरिंग करना और उस अनुश्रवण और मॉनिटरिंग के आधार पर जो उसका निष्कर्ष निकलता है, उसको फिर प्रभावी तौर पर लागू करने का प्रयत्न करना, अगर यह व्यवस्था चलती है, तब तो यह कहा जाएगा कि हमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य के प्राप्ति की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यह बात निश्चित रूप से होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों मंत्रालय उस दिशा में काम करेंगे। दोनों बड़े ही सक्षम और योग्य मंत्रीगण हैं, वे निश्चित रूप से इस दिशा में इस कार्य को बढ़ाएंगे। यह बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: मंत्री जी, आप बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री जयन्ती लाल बरोट: सर, मुझे आप मौका नहीं देंगे?

श्री उपसभापति: आपको और मौका मिलेगा ...(व्यवधान)... देखिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, इस डिबेट के लिए 4 घंटे फिक्स हुए थे, 6 घंटे हो गए हैं। 5 बजे डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट होना है और उसके बाद दूसरे बिजनेस हैं। दो मंत्रियों को बोलना है। इसलिए कृपया आप बैठिए ...(व्यवधान)...

श्री जयन्ती लाल बरोट: सर, एक सदस्य को 25 मिनट मिले और एक सदस्य को 5 मिनट भी नहीं मिले। मैंने कल विनती की थी।

श्री उपसभापति: बरोट जी, आप देखिए। मैंने पूरा रेकार्ड चेक किया ...(व्यवधान)... मेरी बात सुनिए। देखिए, आपको मालूम है, आप सीनियर मैम्बर हैं, कि किस तरह से नाम दिए जाते हैं। मैंने यहां चेक भी कराया, आपका नाम आपकी पार्टी की ओर से यहां पर नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री जयन्ती लाल बरोट: सर, पार्टी से नाम नहीं है, लेकिन कल मैंने विनती की थी। कल मुझे बोला गया था कि ठीक है, आपको 5 मिनट मिलेगा, कल इस पर चर्चा चालू है। अभी मीणा जी ने 20 मिनट बोला, मैंने इस पर इनकार नहीं किया, उनको बोलने दिया। उनको भी कल 5 मिनट बोला गया था और मुझे भी 5 मिनट बोला गया था।

श्री उपसभापति: आप ही बोलें कि मीणा जी जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। आप मीणा जी को सपोर्ट करें और मीणा जी आपको सपोर्ट करें।

श्री जयन्ती लाल बरोट: सर, आप मुझे 5 मिनट मौका दीजिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री उपसभापति: ठीक है, आप बोलिए। आप 5 मिनट के अन्दर अपनी बात खत्म कीजिए। क्योंकि हमने इसमें 2 घंटा excess लिया है।

श्री जयन्ती लाल बरोट: उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि पंचायती राज, जो महात्मा गांधी की कल्पना थी, उसे साकार करने के लिए राजीव गांधी जी ने 1984 में इसे और आगे बढ़ाया। यह अच्छा हुआ। इस पंचायती राज को आगे ले जाने में मेरे भी थोड़े सुझाव हैं। हर ग्राम पंचायत में जब चुनाव होते हैं, तो चुनाव के पीछे आर्थिक खर्च भी होते हैं। सरकार का भी खर्च होता है और चुनाव लड़ने वाले का भी खर्च होता है। हमारे गुजरात में एक समरस पंचायत का प्रावधान शुरू हुआ है। इसके अनुसार जिस छोटी पंचायत में बिना चुनाव हुए पंचायत चुनाव होगा, समरस पंचायत होगी, उसमें सरकार ग्राम पंचायत को 60 हजार रुपया देती है और जो बड़े गांव होते हैं, उनको एक लाख रुपया देती है। इससे सरकार के पैसे भी बचते हैं। गांव के सब लोगों के साथ बैठने से एक अच्छी पंचायत बनती है बिना चुनाव हुए बनती है। इससे गांव में कम-से-कम खींचातानी कम होती है, झगड़े कम होते हैं। साथ में बैठ कर विकास हो सकता है। इसलिए अगर केन्द्र सरकार की ओर से समरस पंचायत का प्रावधान हो कि जिस पंचायत में अगर चुनाव के बिना पंचायत बनती है, सब जातियों को साथ लेकर बनती है, एक प्रावधान हो, तो यह अच्छा रहेगा। उसमें भ्रष्टाचार भी कम होगा, क्योंकि इसमें खर्च नहीं हुआ है, चुनाव जीत कर आए हैं, बैठे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होगी।

दूसरी बात यह है कि पंचायत को हम सरकार की ओर से पैसे देते हैं जो गांव का विकास गांव के लोगों को पसंद होगा कि हमारे गांव में किस चीज की जरूरत है। इस तरह जिला पंचायत, तहसील पंचायत के सिवास ग्राम पंचायत ही तय करे कि हमारे गांव में कौनसा विकास करना है। यह ग्राम सभा ही तय करे और दरख्वास्त करे व उस दरख्वास्त के आधार पर अपने गांव का विकास हो, इस बात का प्रावधान इसमें किया जाए तो अच्छा रहेगा। तीसरी बात, ग्राम सभा में ही बी॰पी॰एल॰ और गरीब लोगों

के लिए योजनाएं बनती हैं। महोदय, मैं सरपंच रहा हूं और मैंने वहां पूछा कि अपने गांव में बी॰पी॰एल॰ वाले कितने हैं? उस में 87 लोगों की गिनती आई और उसमें पहले 18 लोग थे जो दारू के और बल्ली के व्यापारी थे। मैंने बोला कि उन को हटाकर वास्तव में जो गरीब हैं, उस को लाभ मिलना चाहिए। इसलिए ग्राम सभा के बीच में तय गांव की चर्चा हो, और उस को फायदा मिले। इस तरह से वहां के सही लोगों को फायदा मिलेगा। इसलिए ग्राम सभा में इस तरह की योजनाओं को पास कर के उन को फायदा दिया जाए, यह मेरा सुझाव है। इस में बी॰पी॰एल॰ और ई॰वी॰एल॰ वालों का "आई कार्ड" कम्प्यूटराइज्ड चिप से बनाया जाए और उसको जो फायदा दिया गया है, उसे नोट किया जाए। महोदय, आज होता क्या है कि अगर कोई पहचान वाला है तो उन को तीन योजनाओं का लाभ मिलता है और बाकी गरीब रह जाते हैं। यह गलत बात है इस में एक बार अच्छी योजना का उस को लाभ मिले। अभी इंदिरा आवास की बात कही गयी। मैं मानता हूं कि जो पहली इंस्टॉलमेंट दी जाती है, उस इंस्टालमेंट में गरीब के घर में लड़की या लड़के की शादी में वह पैसा खर्च हो जाता है। फिर वह गरीब अपना मकान नहीं बना सकता है जिस कारण उसे रहने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए पंचायत की ओर से ही उस गरीब के निवास के लिए मकान बनाए जाएं और उसका पैसा ग्राम पंचायत में दोबारा यूज हो। अगर इस तरह का प्रावधान होगा तो मैं मानता हूं कि सही गरीब लोगों के निवास के लिए वहां मकान तैयार हो सकेंगे और उन मकानों में वे लोग रह सकेंगे।

महोदय, हमारे गुजरात में एक पीस ग्राम की एक स्कीम बनी है। अगर पूरे एक साल में अपने गांव में कोई झगड़ा या कोई पुलिस केस न हुआ हो तो उस गांव को सरकार की ओर से एक लाख रुपया प्रोत्साहनस्वरूप इनाम में दिया जाता है। इस के लिए उस गांव में अगर किसी तरह का झगड़ा होता है तो पंचायत के सब लोग साथ में बैठकर उस का निपटारा कर लेते हैं। उस की फरियाद पुलिस में नहीं होती है और वे कोर्ट में नहीं जाते हैं। इस तरह से छोटे-छोटे गांवों में सब साथ में बैठें जिस से सामाजिक समता बने, समरसता बने, एकता बने और समानता बने। इस आधार पर हमारे यहां एक योजना रखी गयी है। इसी तरह की योजना उदाहरणस्वरूप हमारे केन्द्र की ओर से रखी जाए तो मैं मानता हूं कि हम पूरे देश में जिस तरह की सामाजिक समानता, समरसता व एकता की स्थापना चाहते हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे।

महोदय, ग्राम पंचायत की समितियों व तहसील पंचायतों को अपने क्षेत्र में यह देखने का अधिकार होना चाहिए कि ग्राम सभा में सरकारी नौकर कितना अच्छा काम करता है, वह काम करता है या नहीं करता है। यह ग्राम सभा देखे और इस की जानकारी तहसील पंचायत या जिला परिषद को देगी कि यह कर्मचारी नौकरी पर आता है कि नहीं, कौन मास्टर स्कूल में पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है और उस के आधार पर एकशन लिया जाए या उस कर्मचारी को दंडित किया जाए। इस प्रकार से दंडित किए जाने से सभी कर्मचारी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि ग्राम सभा को कुछ अधिकार दिए जाएं, तहसील पंचायतों और जिला पंचायत को

अधिकार दिए जाएं, ऐसा करने से वह अपना काम अच्छा कर सकेंगी अन्यथा आजकल सरकारें होती हैं, वहां काम सरकार चलाती हैं और पंचायतें कठपुतली बन जाती हैं। उन पंचायतों के पास पावर्स नहीं होती हैं और पावर्स नहीं होने के कारण वे अपने क्षेत्र में कुछ काम नहीं कर सकतीं। इसलिए ग्राम पंचायत को, तहसील पंचायत को व जिला पंचायत को कुछ-न-कुछ अधिकार दिए जाएं जिससे वे अपने क्षेत्र में काम कर सकें और जरूरत पड़े तो उस सब के आधार पर वह काम ले सकें। साथ ही ग्राम सभा गांव में कम-से-कम दो बार जाहिर क्षेत्र में बैठनी चाहिए। इस तरह का प्रावधान करना चाहिए और उस में वर्ग एक या दो अधिकारी भी उपस्थित रहें। फिर उस गांव के प्रश्नों को सुलझाने के लिए साथ में बैठकर वह तय करें और जो एक्शन लेना हो, उसे नोट कर के वह एक्शन लेवें। उन्हें ऐसे अधिकार दिए जाएं, ऐसी मेरी विनती है। महोदय, यही मेरे कुछ सुझाव हैं। आप ने मुझे बोलने का समय दिया, इस के लिए मैं आप का आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री उपसभापति: मंत्री जी।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): महोदय, हमारी मिनिस्ट्री और मैं आपके बड़े आभारी हैं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बहस के लिए सहमति दी। इसके अलावा बिजनेस एडवायजरी कमेटी, संसदीय कार्य मंत्री और सभी नेताओं का मैं आभारी हूं जिन्होंने परामर्श किया व उनके मन में यह बात आई कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय पर उच्च सदन में बहस हो। बहस होना भी कम बात नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि इस पर सालों-साल बहस हो। हमने पुरानी कार्यवाहियों को भी देखा है। उस समय इस पर बहस नहीं होती थी, सबसे कम बहस होती थी। इसे सबसे नीचा दर्जा दिया जाता था। तो महोदय, गरीबी कैसे हटेगी और देश आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए इस पर लोगों ध्यान गया है। इस पर लोक सभा में भी बहस हुई है। वहाँ 29 माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लिया और जब समय नहीं था महोदय, तो आसन से निर्देश हुआ कि लिखित भाषण दिया जाए, तो उसमें भी 12 से 14 सदस्यों ने पन्ना-का-पन्ना लिख कर दिया। महोदय, उसी तरह से इस सदन में भी तीन रोज से बहस हो रही है। इसमें 22 माननीय सदस्यों ने गहराई से रुचि ली है और अपने सुझाव दिए हैं। लोगों ने अपनी राय प्रकट की हैं इस उच्च सदन में इस पर बहस हुई, इसलिए हम सदन के बड़े भारी आभारी हैं। महोदय, सबसे पहले तो बजट से यह पता चलता है कि सरकार का क्या रुख है, समस्याओं के प्रति लोगों का क्या रूझान है और बजट की क्या रूप-रेखा है? महोदय, यह समय भी बड़ा अनुकूल है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष की शुरूआत होगी और इस 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम साल में जो बहस होगी, वह 11वीं की बुनियाद होगी। योजना का आकार कैसा होगा और उस योजना के आधार पर देश की दशा और दिशा क्या होगी, इस सम्बन्ध में भी यह बड़ा अनुकूल समय है। यह बड़ा ही प्रासंगिक विषय है और देश के लिए बहुत ही अहम विषय है।

महोदय, श्री कलराज मिश्र जी इस बजट में चर्चा कर रहे थे। मैं बजट की साधारण बात बता देता हूं। हमने प्रारंभिक समय से देखा है कि पांच-छः हजार करोड़ रुपए का बजट होता था। उसमें हर साल हजार-डेढ़ हजार या दो हजार करोड़ की बढ़ोतरी होती थी और इस विभाग पर आधे मन से तथा सबसे कम खर्च होता था। लेकिन महोदय, जहां हम 14 हजार करोड़-16 हजार करोड़ से शुरूआत करते हैं, जो रिवाइज्ड एस्टिमेट करने पर 18 हजार करोड़ हुआ, नहीं तो बजट तो 16 हजार करोड़ रुपए का ही था। बजट में अनाज के बारे में नहीं लिखा पाता। यदि पिछला सब बकाया अनाज में दे देते, तो बजट का रूप बड़ा दिखाई देता। लेकिन 16 हजार करोड़ से शुरू करते हैं। महोदय, 2004-2005 में यह 16 हजार करोड़ था और 2005-2006 में इसमें 53 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, जिससे यह 16 डयोढ़े 24 हजार करोड़ रुपए हुआ। महोदय, फिर इस साल यह 24 हजार से 31 हजार करोड़ हुआ। बजट में, जब पिछले वर्षों में इस विभाग का जो पूरा बजट होता था, उतनी बढ़ोत्तरी ही हुई हैं महोदय, इससे यह साबित होता है कि इस तरफ श्रीमती सोनिया गांधी जी का, प्रधान मंत्री जी का, यूपीए के सभी नेताओं का, वामपंथी नेताओं का, और सभी का रूझान है। इसके साथ ही विपक्ष के भी माननीय सदस्यों की रुचि है। विपक्ष के भी चार-पांच माननीय सदस्य अभी मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि वे भी इस बहस में रुचि ले रहे हैं। इसलिए महोदय, इस ग्रामोन्मुखी, गरीबोन्मुखी, समतामुखी कार्यक्रम पर लोगों का बड़ा जोर है। मैं इस बजट से सन्तुष्ट नहीं हूँ, लेकिन पिछले वर्षों के बजट से इसमें अच्छी बढ़ोत्तरी हुई है। इस प्रकार हमें इस मायने में उत्साह है, लेकिन बजट में और बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि बजट में और बढ़ोत्तरी होनी चाहिए क्योंकि जो समस्याएं हैं और जो हिसाब-किताब है, उन्हें देखते हुए इसमें और बढ़ोत्तरी होनी चाहिए, तभी यह काम हो सकता है और गाँव का विकास तथा गांव की समृद्धि हो सकती है।

श्री मंगनी लाल मंडल पुराने लोहियावादी हैं और हम लोगों के पुराने साथी रहे हैं इन्होंने एक बड़ा ओरिजिनल सवाल उठा दिया कि गरीबी कब खत्म होगी? फिर एक माननीय सदस्य ने भी सवाल उठा दिया कि गरीबी की परिभाषा क्या है? वे कैलोरी का याद कर रहे हैं कि कितनी कैलोरी होने से कोई गरीबी रेखा से नीचे होगा। महोदय, हम पहले ही गरीबी से सम्बन्धित इस बात को साफ कर देना चाहते हैं। योजना आयोग ने सन् 1979 में कैलोरी के बारे में निर्धारण किया था कि 2200 कैलोरी से कम होने पर गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। उस परिवार में आदमी क्या खा रहा है और एक व्यक्ति पर कितनी कैलोरी का कंजम्प्शन है, उसके हिसाब से जो 2200 कैलोरी से कम था, उसको गरीबी रेखा से नीचे माना गया। फिर 1991 में 11 हजार रुपए तक की आमदनी वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे माना गया। फिर 1997 में 20 हजार तक की आमदनी वाले को गरीबी रेखा से नीचे माना गया। और जो ज्यादा विद्वान लोग हैं, वे सिर्फ डॉलर में हिसाब बोलते हैं कि इतने डॉलर प्रति व्यक्ति, इतने डॉलर प्रति व्यक्ति। हम तो डॉलर में हिसाब नहीं करना चाहते हैं।

महोदय, अभी वर्ष 2002 में एक नया सर्वे हुआ था, जिसमें 13 पैरामीटर्स निर्धारित हुए और यह कैलोरी वाला खत्म, पहले ही खत्म था, आमदनी वाला भी खत्म। वर्ष 2002 में जो सर्वे हुआ था, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी कि आप गरीबी रेखा के लिए इसमें से नहीं हटा सकते। हमने प्रार्थना की थी कि बहुत सारे लोगों के नाम इसमें छूटे हुए हैं, गांव में जाने से गरीब आदमी कहता है कि हमारा नाम नहीं है और हमें कोई सरकारी सहयता नहीं मिल रही है। जो माननीय सदस्य गांवों में जाते होंगे, उनको यह जानकारी होगी। हमने सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की कि इसमें जो गरीब लोगों के नाम छूटे हुए हैं, उनको हम जोड़ना चाहते हैं, एक ट्रांसपेरेन्सी लाना चाहते हैं।

महोदय, यह गरीब का हिसाब कैसे होता है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इसके लिए 13 पैरामीटर्स को लेकर साइंटिफिक आधार पर वर्ष 2002 में सर्वे हुआ। इसके लिए हिसाब तैयार है, कम्प्युटराइज्ड होकर हर जिले में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका प्रकाशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते हुए नहीं हो पाया है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटा लिया, स्टेट को इजाजत दे दी है कि आप इसका प्रकाशन करके जो छूटे हुए नाम हैं, उनको जोड़ें और क्रमबद्ध स्कूल की दीवाल पर या पंचायत भवन की दीवाल पर लगवाएं और उसमें किताब छपवाकर ट्रांस्परेंन्सी का करें ताकि सब लोग जान सकें कि सबसे गरीब आदमी कौन है? इस 13 पैरामीटर्स में जिसको सबसे कम नंबर मिलेगा, सबसे ऊपर उसका नाम होगा, उसके बाद दूसरे नंबर के गरीब का, उसके बाद अगले गरीब का। दो अपील इसमें रखी गई हैं, सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि इसका तुरन्त प्रकाशन किया जाए और इस वर्ष 6-7, जितनी भी योजनाएं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए हैं, उसी के आधार पर उनमें काम किया जाए।

महोदय, इसमें क्या-क्या पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। धारित भूमि पर रकबा, मायने उसके पास कितनी जमीन है, उसका घर कितनी जमीन में है, यदि भूमिहीन है तो शून्य नंबर, घर लायक जमीन है तो एक नंबर, उससे ज्यादा जमीन है तो दो नंबर, 15 एकड़ या 20 एकड़ जमीन है तो तीन नंबर, इस ढंग से मार्किंग हुई है। घर का प्रकार, हाऊसलेस है तो शून्य, झोपड़ी है या एक झुग्गी है तो फिर भी शून्य, खपरैल का घर है तो एक नंबर, मिट्टी का घर है तो दो नंबर, उससे आगे घर है तो इस तरह से तीन, चार नंबर कर दिया है। पहनने के कपड़ों की सामान्य उपलब्धता, देह पर केवल बिश्टी है, केवल धोती है, गंजी है, कुर्ता है, चप्पल है, यानी शरीर पर क्या-क्या वस्त्र हैं, उस आधार पर नंबर है। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, घर में अनाज की क्या स्थिति हैं स्वच्छता अधिष्ठापन, घर में साफ-सफाई कैसी है। फिर, उपभोक्ता सामग्रियों की मिलकियत, खटिया है, कुर्सी है, बैंच है, टेबल है, कढ़िया है, सूत है या घर में क्या-क्या है, कितनी मात्रा में है, इसके आधार पर मार्किंग। साक्षरता, यानी पढ़े-लिखे लोग हैं, निरक्षर हैं, कम पढ़े हैं, अधपढ़ें हैं, अधपढ़ हैं, इस सभी के संबंध में। परिवार में मजदूरी की स्थिति,

घर में कोई काम करने वाले हैं या नहीं हैं या क्या हालत है। जीवन-यापन के जरिये, बच्चों की शैक्षणिक स्थिति, कर्ज की स्थिति, पलायन की स्थिति और कारण और सहायता के लिए प्राथमिकता। ये पैरामीटर्स के लिए 4 नंबर के हिसाब से कुल 52 नंबर होते हैं और इन 52 नंबर में जो 22 नंबर तक प्राप्त हैं, उसमें जीरो नंबर वाले सबसे ऊपर रहेंगे, एक नंबर वाले उसके बाद रहेंगे और इस तरह से दो नंबर तीन नंबर रहेंगे। इसी आधार पर निर्धारण होगा। हरेक राज्य का थोड़ा बदल हो सकता है, लेकिन 20 से 22 नंबर तक जिनका आता है, वह गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। इसी आधार पर सवाल उठा था, सिर्फ केलोरी के आधार पर अब गरीबी का निर्धारण नहीं है, यह सन् 1979 तक योजना-आयोग ने तय किया था। तो केलोरी वाला खत्म, आमदनी वाला खत्म और अब यह 13 आइटम्स पर हम आ गए हैं।

महोदय, माननीय सदस्य मंडल जी ने सवाल उठाया था कि गरीबी कब खत्म होगी, गरीबी का क्या हिसाब-किताब है? यह आपने बड़ा बढ़िया सवाल उठाया। महात्मा गांधी जी का दृष्टांत दिया गया कि महात्मा गांधी जी ने क्या कल्पना की थी। मैं अभी के संदर्भ में माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि अभी तक जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर देश में दो तरह की सबसे प्रमुख समस्याएं हैं। ये दोनों समस्याएं एक तरह से हिंदुस्तान के लिए कलंक हैं-गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी यानी poverty और बेरोजगारी यानी unemployment. अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, ज्ञानी-विज्ञानी और समाज के ज्ञानी लोग बताएं कि गरीबी और बेरोजगारी में सबसे अहम कौन है? गरीबी हट जाए तो बेकारी का कोई मतलब नहीं और बेकारी रहेगी तो गरीबी हट नहीं सकती। इसलिए हमको समझ में आता है कि बेरोजगारी यानी unemployment ही असली गरीबी है। एक परिभाषा तो यह है कि बेरोजगारी है तो गरीबी है और जब बेरोजगारी हटेगी तो गरीबी भी हटेगी। इसका मतलब यह है कि रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी पड़ेगी, ऐसा हमको समझ में आता है। श्री मंगनी लाल मंडल जी ने सवाल किया कि गरीबी कब हटेगी? इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए हरेक भाषण में कहा है कि रोजगार बढ़ाओ। अब रोजगार कैसे बढ़ेगा, कहां से रोजगार आएगा, यह एक सवाल है? यही एक विषय है ग्रामीण विकास का कि कैसे इसको किया जाए, कैसे बेरोजगारी हटे। क्या यह सिर्फ बात करने से होगा? फिर इसमें कहते हैं कि गरीबी के हिसाब से हम अर्थशास्त्रियों की मदद लेते हैं। अर्थशास्त्रियों ने हमको बताया कि 11 वीं योजना के बाद भी 11 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह जाएंगे। 11वीं योजना, मतलब 2012, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। हम ऐसे देश का नक्शा और सपना देख रहे हैं-विज़न 2020 और राष्ट्रपति जी ने विज़न तैयार करवाया और प्रधानमंत्री और श्रीमती सोनिया गांधी जी, वामपंथी बल और हमारे सभी मित्रगणों का मानना है और हम सपना देखते हैं कि 2020 में हिन्दुस्तान को दुनिया की अगली पंक्ति के देशों में आना है। अब यदि दुनिया की अगली पंक्ति के देशों में आना है तो क्या हमारे देश के गांव पिछड़े रहेंगे, गांवों में बेरोजगारी और गरीबी बरकरार रहेगी, बुनियादी सुविधाएं

जैसे पीने का पानी, रोजगार और अन्य सभी तरह की सुविधाएं यदि नहीं दी जाएंगी तो हिन्दुस्तान कैसे दुनिया की अगली पंक्ति के देशों में बैठ सकता है। इसीलिए 2020 से पहले हमको गरीबी रेखा से नीचे जितने लोग हैं, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाना पड़ेगा। कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं? कहते हैं कि कभी हिसाब हुआ था, श्री मंगनी लाल मंडल जी ने आक्सफोर्ड की प्रकाशित किसी किताब का ज़िक्र किया था। बड़ी मेहनत करते हैं और बड़ी रुचि से अपनी बात कहते हैं मंगनी लाल जी। अब हम दोनों तो एक ही पाठशाला, डा॰ लोहिया, कर्पूरी ठाकुर जी की पाठशाला से हैं। मैं कहता हूं कि - *तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देख* /किताब में देखने से नहीं, गांव में जाने से पता चलता है कि गरीबी की क्या स्थिति है और गरीबी से हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं, गरीबी को हम कैसे दूर भगा सकते हैं। इसलिए U.P.A. का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसको लागू करने के लिए वामपंथी दल और समाजवादी भी, सभी पहरेदार हैं। सरकार से बाहर रहकर वे पहरेदान की तरह खड़े हैं। ब॰स॰पा॰ के लोग भी पहरेदार हैं और विपक्ष के लोग भी मुस्तैद हैं कि U.P.A. का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसको कैसे लागू किया जा रहा है। U.P.A. के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ग्रामीण विकास मंत्रालय से 15 सूत्री कार्यक्रम हैं, उसमें हमारे 15 बिन्दु हैं और 15 बिन्दुओं पर हमारा सफल कार्यान्वयन हो रहा है, जिनका नाम गिनाकर मैं अभी बताऊंगा। इसीलिए U.P.A. का-कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ग्रामोन्मुखी, समतान्मुखी, गरीबोन्मुखी, बेरोजगारी तथा गरीबी हटाने वाला तथा गांव के विकास वाला है और यह कार्यक्रम यदि चलता रहा तो मंगनी लाल मंडल जी, हम 11 वीं योजना से आगे नहीं जाना चाहते हैं। जो हिसाब है, जो रुख है, जो दिशा है, उसके हिसाब से हम नहीं चाहते हैं कि 11वीं योजना के आगे हिन्दुस्तान में कोई भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे रह जाए, लेकिन यह केवल मंत्र जाप करने से नहीं होगा। *लक्ष्मी आए, दरिद्र भागे*-दीवाली के दिन हर घर में बाई ठाणी, कोना-खाणी में पिटारा पीट-पीट कर लोग कहते हैं कि लक्ष्मी आए, दरिद्र भागे। तो यह मंत्र पढ़ने से नहीं होगा, बल्कि हिन्दुस्तान के जो 6 लाख गांव हैं, जिनमें 74 करोड़ की आबादी बसती है, वहां योजनाओं का सही कार्यान्वयन होने से, सही ग्रामीण विकास और गांवों को समृद्ध करने से होगा।

श्री मूल चन्द मीणा जी इस समय नहीं हैं, वे जब अपना भाषण कर रहे थे तो किसानों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि किसान गांव में रहने वाले लोग हैं और जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। महात्मा गांधी से लेकर कई महान लोगों ने, डा॰ लोहिया, बाबू जयप्रकाश आदि जितने महान लोग हुए हैं, सभी ने हमको यही पढ़ाया कि देश की आत्मा गांवों में बसती है और जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, हिन्दुस्तान के विकास का कोई मतलब नहीं है। संयोग से अभी अच्छी स्थिति है और हम 8% इकोनॉमिक ग्रोथ पर चल रहे हैं। आगे हमारा संकल्प 10: प्राप्त करने का है। दुनिया में हिन्दुस्तान की ताकत और प्रतिष्ठा बढ़ी है। सभी लोग कहते हैं कि आने वाले समय में हिन्दुस्तान एक इकोनॉमिक पावर होगा। आज हम

5.00 P.M.

सुनते हैं कि सैंसेक्स इतना चढ़ गया, लेकिन, महोदय, उस सैंसेक्स से हमारे गरीब आदमी को कोई भी मतलब नहीं होता। हमारा असली सैंसेक्स तो तब होगा जब गांव की स्थिति में सुधार होगा और जो गरीब आदमी है, जो बेरोजगार है, उसके लिए हम कितना कर पाते हैं, वह ही हमारे हिन्दुस्तान के लिए असली सैंसेक्स होगा और आज देश और दुनिया की नज़र इसी चीज़ पर लगी हुई है।

इस चर्चा में लगभग सभी माननीय सदस्यों ने भाग लिया और उनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए। नेशनल रूरल एमप्लॉइमेंट गारंटी कानून पर आज देश और दुनिया की नजर लगी हुई है। यहां पर सेशल्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी आए और उन्होंने बताया कि आज देश और दुनिया भर की नजर इसी बात पर लगी हुई है क्योंकि एम्प्लॉइमेंट गारंटी कानून, सौ दिनों का रोज़गार, ऐसे कानून आज तक दुनिया में कभी नहीं आए।

मेरे वामपंथी मित्र श्री अवनि राय जी बोल रहे थे, श्री सरकार साहब भी बोले और उन्होंने कहा कि 365 दिन में आपने केवल 100 दिन के रोज़गार की गारंटी दी है तब बाकी के 265 दिन का क्या होगा? महोदय, जब तक लोग हिन्दुस्तान को नहीं समझेंगे, तब तक समस्या का समाधान कैसे हो सकेगा? अगर हम 100 प्रतिशत लोगों को सरकारी काम में ही लगा देंगे तो हमारी कृषि का क्या होगा? ऐसे तो हमारी कृषि, जो हमारे देश की आर्थिक रीढ़ है, वह चौपट हो जाएगी। इसीलिए 365 दिन के अन्दर जब कृषि का सीज़न होगा, तब वह कृषि का कार्य करेगा। श्री शरद जोशी जी इस बात को जानते हैं कि वर्ष में कितने महीने कृषि का कार्य होता है और गांवों में एवं खेतों में किसानों को मज़दूरों की कितनी जरूरत पड़ती है। इस तरह से मज़दूर किसान के यहां पर भी कार्य करेगा और साथ ही साथ अपने घर का भी कुछ कार्य करेगा, लेकिन जिस समय उन्हें कोई काम नहीं होगा, ऐसे लीयन पीरियड में हम उसे रोज़गार उपलब्ध कराएंगे।

सभी माननीय सदस्यों ने पलायन के प्रति हमें सावधान किया है कि पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है। पलायन तो उस समय ही होगा, जिस समय खेतों का काम नहीं होता है। यदि किसान के पास काम नहीं है, तभी शहर की ओर उसका पलायन होगा क्योंकि काम की खोज में गरीब आदमी बाहर जाएगा ही। इसी पलायन को रोकने के लिए लीयन पीरियड में, एक वर्ष में 100 दिन, अर्थात् लगभग 4 महीने के लिए ही उन्हें रोज़गार की गारंटी दी गई है, चूंकि सभी लोगों ने उन्हें सावधान किया, अभी डा॰ विमल जालान जो यहां पर नहीं बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि आप इस पर वक्तव्य दें, पार्लियामेंट के अन्दर इस विषय पर हम वक्तव्य दे भी चुके हैं और एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तक एम्प्लॉएमेंट गारंटी कानून की क्या स्थिति है। 2 फरवरी, 2006 से देश के 200 जिलों में, लगभग 80,000 पंचायतों के अन्दर यह लागू हो चुका है।

महोदय, आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में, जो कि श्री नीलम संजीव रेड्डी जी का ज़िला है, वहां के मंडावली गांव से इसकी शुरूआत की गई। हालांकि इसकी शुरूआत के लिए हम दिल्ली के

अन्दर भी देश भर के लोगों को जुटा सकते थे, प्रधान मंत्री जी एवं सोनिया जी यहीं पर उसे लांच कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम स्वयं ग्राम सभा में जाएंगे, पंचायत में जाएंगे, देश के सभी माननीय मुख्य मंत्रियों एवं अन्य लोगों से हमने प्रार्थना की कि सभी माननीय मंत्रियों को भेजा जाए, माननीय संसद सदस्यों को भेजा जाए, देश भर में एमएलए, एमपी, ज़िला पार्षद्, पीआरआई इंस्टीटयूशन्स के लगभग 30 लाख प्रतिनिधि हैं, उन्हें भेजा जाए और अन्य सभी लोगों को आमंत्रण दिया जाए। इस प्रकार 2 फरवरी से वह लांच हुआ। जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार अभी तक 17 राज्यों के 181 जिलों में 2,23,99,382 परिवार के लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने अपना नाम लिखवाया है कि हम काम चाहते हैं। काम का जो कानूनी अधिकार हमें मिला है, उसके लिए उन्होंने पेटीशन दिया है...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: मंत्री जी, थोड़ा इन्हें बोलने दें।

श्री जसवन्त सिंह (राजस्थान): मेरा निवेदन है, मैं माननीय मंत्री जी के इस रोचक प्रवचन में व्यवधान करूं, यह हमें कभी नहीं सुहाता है, लेकिन हमें कहा गया था कि 5.00 बजे माननीय रक्षा मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे। अगर रघुवंश बाबू को आपत्ति न हो तो पहले माननीय रक्षा मंत्री जी अपना वक्तव्य दे दें ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: स्टेटमेंट करने के बाद ...(**व्यवधान**)...

श्री जसवन्त सिंह: उसके बाद वे अपना प्रवचन फिर से शुरू कर दें। इसमें हमें कोई हर्ज नहीं होगा।

STATEMENT BY MINISTER

Scorpene Submarine Project

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): As the Leader of the Opposition has suggested, I am going to make the following statement.

A section of the Press had published certain reports *inter alia* alleging the involvement of middlemen and payment of commission in the Scorpene Contract stating that a Rs. 16,000 crores contract was signed with France and that an extra amount of Rs. 4,500 crores was paid to the French firms than what was earlier negotiated. Appropriate rejoinders were sent to the magazine on 14th February, 2006. An Unstarrred Question No. 1689 was replied to in the Rajya Sabha on 8.3.2006 on the subject of "Purchase of Submarines".